**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1575**

**जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है।**

***

**राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना**

**1575. श्री पी.पी. चौधरी:**

**श्री प्रताप चंद्र षडड्.गी:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत राजस्थान और ओडिशा की नदियों और झीलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान में जवाई और लूनी नदी तथा ओडिशा में सुवर्णरेखा, ब्राहमणी, महानदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उपर्युक्त नदियों में जल प्रदूषण के संबंध में कोई आंकडे उपलब्ध हैं;और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)**

**(क) से (ग):** भारत सरकार, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के बीच लागत हिस्सेदारी के आधार पर नदियों (गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों को छोड़कर) के चिहि्नत प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण को दूर करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रही है। अन्य बातों के साथ-साथ, इन कार्यों में कच्चे सीवेज का अवरोधन और डायवर्जन, सीवरेज प्रणाली का निर्माण, सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) की स्थापित करना, कम लागत वाली स्वच्छता, रिवर फ्रंट/स्नान घाट विकास आदि शामिल हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रदूषित नदी खंडों के किनारे बसे कस्बों/शहरों में प्रदूषण रोकथाम कार्यों से संबंधित प्रस्ताव समय-समय पर एनआरसीपी के अंतर्गत विचारार्थ प्राप्त होते हैं और उनकी प्राथमिकता, एनआरसीपी दिशानिर्देशों के अनुरूप पुष्टि, योजना निधियों की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं।

एनआरसीपी के अंतर्गत ओडिशा के 4 शहरों नामत: चांदबाली, कटक, धरमशाला और तालचेर में 2 नदियों नामत: ब्राह्मणी और महानदी के संरक्षण हेतु 12.29 करोड़ रुपए की कुल लागत से प्रदूषण रोकथाम कार्यों को स्वीकृत किया गया है। विवरण निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | नदी | कस्बा | स्वीकृत लागत (करोड़ रू.) | सृजित एसटीपी क्षमता एमएलडी में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ब्राह्मणी | चांदबाली | 0.35 | 0.00 |
| 2 | महानदी | कटक | 8.04 | 33.00 |
| 3 | ब्राह्मणी | धरमशाला | 0.20 | 0.00 |
| 4 | ब्राह्मणी | तालचेर | 3.7 | 2.00 |
| | कुल | | 12.29 | 35.00 |

ओडिशा में सुवर्णरेखा नदी के प्रदूषण रोकथाम का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, एनआरसीपी के अंतर्गत झारखंड में सुवर्णरेखा नदी में प्रदूषण रोकथाम कार्यों को 3.14 करोड़ रुपए की कुल लागत से स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार, राजस्थान राज्य में नदियों में प्रदूषण रोकथाम कार्यों का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। एनआरसीपी के अंतर्गत शामिल नदियों की राज्य-वार सूची **अनुलग्नक** में दी गई है।

**(घ) और (ड़):** केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत निगरानी केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से नदियों और अन्य जल निकायों की जल गुणवत्ता की मानीटरिंग कर रहा है। जल गुणवत्ता निगरानी परिणामों के आधार पर सीपीसीबी ने समय-समय पर नदियों के प्रदूषण का आकलन किया गया है।

सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2019 और 2021 के दौरान उपरोक्त नदियों में की गई जल गुणवत्ता निगरानी के अनुसार, राजस्थान में जवाई और लूनी नदी और ओडिशा में ब्राह्मणी नदी पर प्रदूषित नदी खंड पाए गए हैं। ओडिशा और राजस्थान में प्रदूषित नदी खंड़ों का विवरण निम्नानुसार है:

| **क्र.सं.** | **राज्य** | **नदी** | **प्रदूषित नदी खंड/ स्थान** | **पाई गई अधिकतस बीओडी (मि.ग्रा./ली)** | **प्राथमिकता श्रेणी** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ओडिशा | ब्राह्मणी | राउरकेला के पास | 5.6 | V |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | | दया | नरंखेटा से कनस | 7.1 | IV |
| 3. | | गंगुआ | भुवनेश्वर के पास | 39.2 | I |
| 4. | | कथाजोड़ी | कटक के पास | 4.1 | V |
| 5. | | कुआखाई | भुवनेश्वर के पास | 7.3 | IV |
| 6. | | मंगला | गोलासाही के पास | 7.4 | IV |
| 7. | | सेरूआ | संखत्रास के पास | 3.5 | V |
| 8. | राजस्थान | बनास | बस्सी से बीसलपुर | 35.7 | I |
| 9. | | बांदी | पाली के पास | 94.0 | I |
| 10. | | बेरेच | नगरी के पास | 3.9 | V |
| 11. | | भंवर सेमिला | भंवर सेमला के पास | 3.8 | V |
| 12. | | चंबल | केशोरायपट्टन और पाली (सवाई माधोपुर) के पास | 5.7 | V |
| 13. | | गंभीरी | चित्तौड़गढ़ के पास | 4.9 | V |
| 14. | | गुवर्दी | गुवर्दी के पास | 9.5 | IV |
| 15. | | जवाई | जवाई बांध पर | 11.7 | III |
| 16. | | कनोता | सुमेल के पास | 9.5 | IV |
| 17. | | खारी | केलवाड़ा के पास | 7.6 | IV |
| 18. | | कोठारी | भीलवाड़ा के पास | 6.2 | IV |
| 19. | | लूनी | रणकपुर के पास | 3.8 | V |
| 20. | | माही | बांसवाड़ा के पास | 5.0 | V |
| 21. | | पिपलाद | पिपलाद बांध पर | 3.2 | V |

*****

**अनुलग्नक**

**"राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना" के संबंध में दिनांक 15.12.2022 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1575 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल नदियों का राज्यवार विवरण
(गंगा और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर)

| **क्र.सं.** | **राज्य** | **शामिल की गई नदियों के नाम** |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | गोदावरी |
| 2 | तेलंगाना | गोदावरी और मूसी |
| 3 | जम्मू और कश्मीर | देविका और तवी |
| 4 | झारखंड | सुवर्णरेखा |
| 5 | गुजरात | साबरमती, मिंडोला और तापी |
| 6 | गोवा | मांडवी |
| 7 | कर्नाटक | तुंग, भद्रा, तुंगभद्रा, कावेरी और पेन्नार |
| 8 | महाराष्ट्र | गोदावरी, तापी, कृष्णा, पंचगंगा और मूलामूथा। |
| 9 | मध्य प्रदेश | वैनगंगा, नर्मदा और ताप्ती। |
| 10 | मणिपुर | नंबुल |
| 11 | ओडिशा | ब्राह्मणी, महानदी |
| 12 | पंजाब | घग्गर, ब्यास और सतलुज |
| 13 | तमिलनाडु | अडयार, कूम, वैगई, वेन्नार, कावेरी और ताम्रबरनी |
| 14 | केरल | पंबा |
| 15 | सिक्किम | रानी चू, तीस्ता, रंगित |
| 16 | नागालैंड | दीपूह और धनसिरी |

*****